147

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम पुत्तरवाही के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 1.026 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 1.026 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुत्तरवाही, तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 29.06.2015 (प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भीरागांव ग्राम के सरपंच **श्री/श्रीमति बेबी गावड़े** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 29./06/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	पुत्तरवाही	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29/06/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 29/06/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

(सील)

कलेक्टर
उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला...

दिनांक:–08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. नर्रा, भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम घोटिया** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.647 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **1.647 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि.......—..........हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम घोटिया तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **घोटिया ग्राम** के सरपंच **श्री/ सुरेन्द्र उइके** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **13./05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	घोटिया	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **13/05/2015** /दिनांक............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

(सील)

कलेक्टर

उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला...

दिनांक:– 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम विकमगंज** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 3.634 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **3.634 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि **0.583** .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम विकमगंज तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** .**(प्रदर्श–''अ'')** एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **घोटिया ग्राम** के सरपंच **श्री/ सुरेन्द्र उइके** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **13./05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	विकमगंज	श्री बंशीराम पिता दशरूराम जाति गोड़ श्री रामप्रसाद पिता दूरसाय जाति गोडत्र	0.178 0.405
		योगः–	0.583

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **13/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **13/05/2015** /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम कोकड़े के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.004 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **1.004 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 1.201** .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम कोकड़े** तहसील भानुप्रतापपुर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव जातावाड़ा ग्राम के सरपंच **श्री/श्रीमति सुरजबाई** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 13./05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	कोकड़े	श्री ति कमलेश्वरी / भरोसाजाति गोड़ श्री भरोसाराम /मांझी जाति गोड़ श्री रजमन/अंकालु जाति गोड़	0.540 0.175 0.486
		योग:–	1.201

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार ''**अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006**'' की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 13/05/2015 /दिनांक............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर छ.ग.

दिनांक 08/07/2015

151

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम कार्रामाड़ के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 0.540 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.540 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.237 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम कर्रामाड़ तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 08/06/2015 .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव कर्रामाड़ ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमति बरतनीन घनेलिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08./06/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	कर्रामाड़	श्री मति रैनबाई पति दुकालसिंग / जाति गोंड़	0.237
		योग:–	0.237

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार ''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'' की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 08/06/2015 /दिनांक.......................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर

दिनांक 08/07/2015

152

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम पलाचूर** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 7.746 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र **की वन भूमि 7.746 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.081 हे0** जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम पलाचूर, तहसील दुर्गकोंदल** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015 .(प्रदर्श–"अ")** एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पलाचूर ग्राम के सरपंच **श्री/श्री मति संजू नरेटी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **16/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	पलाचूर	श्री फत्तेसिंग /श्री झिटी जाति गोंड़	0.081
		योग:–	0.081

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **16/05/2015** /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला..उ. ब. कांकेर (छ.ग.)...........

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम हाहालद्दी के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 2 .911 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.911 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि.......................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम हाहालदृदी, तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।
ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 .(प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पलाचूर ग्राम के सरपंच श्री/श्री मति संजू नरेटी की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	हाहालद्दी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार ''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'' की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है
संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 16/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर
नाम उ. ब. कांकेर (छ.ग.)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला...

दिनांक 08/07/2015

154

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानुपुर पूर्व में ग्राम भुसकी के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 5.808 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 5.808 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम भुसकी, तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 (प्रदर्श–''अ'') एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भुसकी ग्राम के सरपंच **श्री नरसिंग गावड़े** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	भुसकी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 16/05/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील
कलेक्टर
नाम उ. ब. कांकेर (छ.ग.)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला..

दिनांक 08/07/2015

155

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व में ग्राम कोडें** के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 2.805 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र **की वन भूमि 2.805 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि** 0.432 .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम कोडें तहसील दुर्गकोंदल** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015** .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''ब'')** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव कोडें ग्राम के सरपंच **श्री उमेंदसिंह कल्लो** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **16/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	कोडें	बीसाराम पिता सुकदू गोंड़	0.432
		योग	0.432

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **16/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **16/05/2015** /दिनांक............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानुपुर पूर्व /पश्चिम में ग्राम चिखली के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 7.949 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **7.949 हे0** एवं/राजस्व वन भूमि........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम चिखली तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **18/05/2015** .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव चिखली ग्राम के सरपंच **श्री दारासिंह** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **18/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	चिखली	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **18/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **18/05/2015** /दिनांक............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर

उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

नाम
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला..

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल भानुपुर पूर्व /पश्चिम में ग्राम प्रेमनगर पी.व्ही–34 के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 2.322 हे0** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.322 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि........................हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम प्रेमनगर तहसील पखांजूर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **24/05/2015** .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव प्रेमनगर ग्राम के सरपंच **श्री कमलेश हलधर** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **24/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	प्रेमनगर पी.व्ही–34	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **24/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 24/05/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

कलेक्टर

नाम उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला..

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

नेसस 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व /पश्चिम में ग्राम हरनगढ** के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 0.527 है0** वन भूमि के प्रकरण नें अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.527 है0 एवं/राजस्व वन भूमि......................है0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम हरनगढ़ तहसील पखांजूर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **24/05/2015** .(प्रदर्श–"अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव हरनगढ़ ग्राम के सरपंच **श्री मति प्रियंका नरेटी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **24/05/2015** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(है0में)
	हरनगढ़	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **24/05/2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक.24/05/2015 /दिनांक..............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील
कलेक्टर
उ. ब. कांकेर (छ.ग.)
नाम
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला.......................................

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स"

प्रमाण –पत्र

मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमण्डल भानु.पुर पूर्व में ग्राम पुड़ोमिचगांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा .... हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ....हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 0.421 .हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुड़ोमिचगांव तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 .(प्रदर्श–"अ") एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पुड़ोमिचगांव ग्राम के सरपंच श्री नरसिंग गावड़े की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें, 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	पुड़ोमिचगांव	बोधनी बाई बेवा धनीराम गोंड़	0.097
		शोभीराम पिता बादुराम गोंड़	0.324
		योग:–	0.421

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 17/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015

प्रदर्श–स''

प्रमाण –पत्र

मेसर्स 'कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.ग.वि. पारे.कं. मर्या. भिलाई छ.ग. को गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला में आरक्षित वनमंण्डल **भानु.पुर पूर्व /पश्चिम** में ग्राम दोड़देकादर के बन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा** ....हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की **वन भूमि** ....हे0 एवं/**राजस्व वन भूमि** 0.351 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम दोड़देकादर तहसील दुर्गकोंदल में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 .(**प्रदर्श–''अ''**) एवं वन एवं राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श–''ब''**) पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का **प्रस्ताव दोड़देकादर** ग्राम के सरपंच **श्री दारासिंह** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/05/2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें. 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

कं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
	दोड़देकादर	दुरूगसाय पिता मुल्ला गोंड़	0.351
		योग	0.351

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/05/2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है

संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. 17/05/2015 /दिनांक.............................के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

शील

नाम ( )

कलेक्टर एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 08/07/2015